

कार्यालय, मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार पटना।

पत्रांक- 316

प्रेषक,

संजय कुमार पाल,
मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार
पटना।

सेवा में,

करीम अंसारी
युगेत्तर (JSFCXPER)
3-4-142/6, बरकतपुरा
हैदराबाद, 500027

पटना, दिनांक- 24.4.24

विषय-
महोदय,

Information Regarding Factories act Bihar.

उपर्युक्त विषयक कहना है कि वांछित सूचना के अंतर्गत बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम-95 से संबंधित कुल-82 पृष्ठों के छाया-प्रति आपूर्ति की जानी है। जिसके लिए निर्धारित शुल्क कुल-164 रूपया/मात्र देय है।

अतः अनुरोध है कि नियमानुसार देय शुल्क भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से उपलब्ध कराये।

विश्वासभाजन,

Sanjay Kumar
24/04/2024

(संजय कुमार पाल)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार
पटना।